FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत ....जिला कलक्टर, बाड़मेर........ मुकाम ....
बाड़मेर
..........अपीलार्थी–हेमवीर नेहरा पुत्र किरताराम नेहरा...... बनाम .... उत्तरदाता– उपखण्ड अधिकारी
किस्म मुकदमा ....नं. ....चौहटन सन् ....
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 125 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.24	अपीलार्थी की ओर से यह अपील राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष पोर्टल पर प्रस्तुत आवेदन संख्या 350827140958461 दिनांक 14.12.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में चाही गयी सूचना जीवन व स्वतंत्रता से सम्बधित होना अंकित कर 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी की ओर से उक्त सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध नहीं करवाये जाने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन पोर्टल पर ही दिनांक 16.12.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने अपील एवं प्रार्थना–पत्र में चाही गई सूचना की विशिष्टियों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा भूमि सम्बधित इन्द्राजों व अन्तरणों की सूचना के साथ ही नियमो की व्याख्या कराते हुए सूचना चाही गई है। सर्वप्रथम उक्त सूचना अपीलार्थी के जीवन व स्वतंत्रता से सम्बंध होना प्रथमदृष्टया नहीं पाया जाता है। इसके अलावा विधिक प्रावधानों की व्याख्या किया जाना भी लोक सूचना के दायरे में नहीं आता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना अधिकार प्रार्थना–पत्र एवं हस्तगत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी जरिये आरटीआई पोर्टल आदेश से सूचित हो। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:30:39 IST
Reason: SelfAttested